

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) को पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत दुर्गूकोंदल परिक्षेत्र के ग्राम हाहलददी के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 में पहुंच मार्ग चौड़ीकरण एवं विद्युत लाईन विस्तार (भूमिगत) निर्माण के गैर वानिकी कार्य हेतु रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 04-04-2024

Place : Raipur

Name

-


 Add. Chief Secretary
 Government of Chhattisgarh

Designation

-

Department of Forest & Climate Change
 Mantralaya, Nava Raipur, Raipur
 C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-08/2024/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/04/2024

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
उप कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015।

विषय:- कांकर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु JSW Ispat Special Products Limited द्वारा For laying underground electricity line for supplying electricity and widening of approach road leading to mine हेतु क्षेत्रफल 1.396 हे. (1.40 हे.) वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-308/643, दिनांक 04.03.2024।

—00—

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र - JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के आरक्षित वन के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	1 - 8
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त/पंजीयन क्रमांक) - JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) के प्रकरण रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/TRANS/148650/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु कोषालय के चालान दिनांक 22.07.2021 के आधार की जाती है। पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि 35,000/- एक मुश्त जमा की गई है।	9
3	वन क्षेत्र विवरण - परियोजना हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के लौह अयस्क परिवहन एवं विद्युत लाईन विस्तार हेतु आरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि प्रभावित हो रही है।	10

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्तावित परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	11
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर – व्यपवर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	12 – 13
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप– प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) का इन्डेक्स मैप संलग्न है।	14 – 15
7	प्रपत्र-IV में प्रस्ताव– प्रपत्र-IV में पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गुकोन्दल में लौह अयस्क एवं विद्युत लाईन विस्तार निर्माण कार्य हेतु कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रशासकीय लागत 400 लाख रु. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है।	16 – 19
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) का भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संस्थान के पक्ष में हाहालद्दी (परिक्षेत्र दुर्गुकोन्दल) के वन भूमि रकबा 79.56 हे. लौह अयस्क खनिज के खनन हेतु खनिपट्टा स्वीकृति किया गया है। संस्थान द्वारा स्टेट हाईवे से खदान में जाने हेतु पहुंच मार्ग/विद्युत लाईन विस्तार का निर्माण कार्य किया जाना है।	20 – 21
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल द्वारा प्रत्यावर्तन एवं आबंटित वन भूमि के एवज में शासन द्वारा समय-समय पर तय की गई दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	22 – 23
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत हाहालद्दी में लौह अयस्क परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।	24
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – आवेदक संस्थान के कथन अनुसार प्रस्तावित परियोजना लीनियर होने के कारण पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	25
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) – आवेदित क्षेत्र में 403 वृक्ष खड़े हैं जिसका विदोहन किया जाना है।	26 – 30

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।	31
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा का नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)–राजस्व वन क्षेत्र – प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।	32
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – प्रस्ताव में कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु चयन किया गया है। अतः गैर वन क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।	33
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – आवेदित वन भूमि 1.396 हे. (1.400 हे.) के एवज में पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के ग्राम राऊरवाही राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के कुल रकबा 14.780 हे. में से 1.400 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्ताव में संलग्न है।	34 – 62
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गूकोन्दल/उप वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु दुर्गूकोन्दल परिक्षेत्र के ग्राम राऊरवाही राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के कुल रकबा 14.780 हे. में से 1.400 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य हेतु चयनित किया गया है। उक्त स्थल में निरीक्षण अनुसार 400 पौधा प्रति हेक्टेयर रोपित किया जा सकता है, निरीक्षण अनुसार उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। शेष 1000 पौधा रोपण हेतु परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के संरक्षित वन 920 ग्राम घमरे में कुल रकबा 190.00 हे. में से रिक्त क्षेत्र में रोपण करने हेतु चयन किया गया है।	63 – 64
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण– प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	65
19	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम/कार्यों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	66
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – प्रकरण अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	67
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा लौह अयस्क के परिवहन हेतु वैकल्पिक पहुंचमार्ग हेतु प्रस्तावित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के विरुद्ध के परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के ग्राम राऊरवाही राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 66 के कुल रकबा 14.780 हे. में से 1.400 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है। अतः मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	68

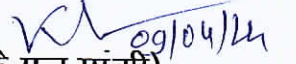
बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।	69
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	70
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खान के संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	71
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्तावित परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	72
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रपत्र-3 के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं भाग-II में वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल द्वारा दिनांक 20.07.2022 को प्रस्ताव में स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।	73 – 84
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन अथवा अन्य कोई निर्माण नहीं है।	85
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.) द्वारा पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र दुर्गूकोन्दल के ग्राम हाहालद्दी में लौह अयस्क परिवहन के लिए वैकल्पिक पहुंचमार्ग निर्माण एवं भूमिगत विद्युत लाईन विस्तार कार्य हेतु कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. (1.400 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	86 – 90
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – कांकेर जिले की कुल वन भूमि 263235.953 हे. है।	91
30	व.स.अ.1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में – पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत इस श्रेणी के 13 प्रकरण रकबा 1378.64 हे. स्वीकृति की गई है।	92
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल अंतर्गत इस श्रेणी के रकबा 56.774 हे. क्षेत्र में वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही की गई है।	93
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्तावित परियोजना हेतु 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है किन्तु बंजारी माता का मंदिर स्थित है।	94

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में) – खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यकता नहीं है।	95
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा वन अधिकार वितरण संबंधी प्रमाण पत्र 21.06.2022 को जारी किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।	96 – 104
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र– प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि प्रभावित नहीं होने से राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर, जिला – उत्तर बस्तर कांकेर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	105
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया, वचन पत्र संलग्न है।	106
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd Stage clearance – प्रभावित भूमि के बदले आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि को कैम्पा खाते में जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	107
38	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" – आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 634 एवं 640 के रकबा 1.396 हे. क्षेत्र में प्राकृतिक पुनर्रोत्पादन स्थिति सामान्य है, क्षेत्र समतल एवं पथरीली होने के कारण जैविक दबाव लगभग शून्य है।	108
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	109
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	110
41	पंजीयन क्रमांक पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 पर विवरण दिया गया है।	111 – 112
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	113
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – भूमिगत विद्युत लाईन विस्तार होने के कारण लागू नहीं।	114
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण संलग्न है।	115 – 116

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर Parivesh-II में अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न : - उपरोक्तानुसार।

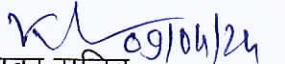

(के.एल.मांझी)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/04/2024

पृ.क्रमांक एफ 5-08/2024/10-2
प्रतिलिपि:-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
- 2.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
- 3.वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, छत्तीसगढ़।
4. Director, JSW Ispat Special Products Limited (Formerly known as Monnet Ispat & Energy Ltd.),
Village- Kurud, Chandkhuri Marg, Mandir Hasaud Raipur (C.G.) 492101.
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

